

असाधारण सामान्य
बैठक की सूचना
26 नवंबर 2014, चेन्नै

**Notice for
Extraordinary
General Meeting**

26th November 2014, Chennai



www.iob.in

**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank**

(A Government of India undertaking)

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai-600 002

विषय-वस्तु

CONTENTS

विषय-वस्तु / CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE NO
सूचना Notice	3
सूचना Notes	5
स्पष्ट कथन Explanatory Statement	7
उपयुक्त अधिनियमों एवं विनियमनों से उद्धरण Extract from Relevant Acts and Regulations	17

विषय-वस्तु / CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE NO
नामांकन फॉर्म Nomination Form	33
घोषणा फॉर्म Declaration Form	35
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	45
उपस्थिति स्लिप सह प्रवेश पास सह बैलट पेपर पास Attendance slip cum Entry pass cum Ballot paper pass	47

महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की सारणी / IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

S. No	घटनाओं की तिथियाँ CALENDAR OF EVENTS	तारीख Date	दिन Day
1.	असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता और उसमें वोटिंग के लिए शेयरधारकों के पात्रता निर्धारण की रिकार्ड तिथि Record date for ascertaining the shareholders eligibility to attend the EGM and vote thereat	24.10.2014	शुक्रवार Friday
2.	नामांकन फॉर्म प्रस्तुति की अंतिम तिथि (तक या पहले) Last date for submission of nomination forms (on or before)	11.11.2014 (सायं 5.00 बजे) (05.00 p.m.)	मंगलवार Tuesday
3.	नामांकनों की जांच Scrutiny of Nominations	12.11.2014	बुधवार Wednesday
4.	प्रॉक्सी फॉर्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के प्रस्तावों के प्राप्ति की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives.	21.11.2014 (सायं 5.00 बजे) (05.00 p.m.)	शुक्रवार Friday
5.	असाधारण सामान्य बैठक की तिथि एवं समय Date and Time of EGM	26.11.2014 (सुबह 10.30 बजे) (10.30 a.m.)	बुधवार Wednesday

(यदि इस सूचना और संलग्नकों के हिंदी रूपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जाएगा)

(In this Notice and enclosures, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

Registrar and Share Transfer Agent:

मेसर्स केमियो कॉरपोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड

M/s Cameo Corporate Services Ltd

(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)

(Unit-INDIAN OVERSEAS BANK)

सुब्रमणियन बिल्डिंग

Subramanian Building

प्रथम तल, संख्या 1, क्लब हाउस रोड

I Floor, No.1, Club House Road,

चेन्नै 600 002

Chennai 600002

टेलीफोन : 044-2846 0390 (छह लाइनें)/

Tel : 044 - 2846 0390 (Six Lines)/

044-2846 0395

044 - 2846 0395

फैक्स : 044 -2846 0129

Fax : 044 - 2846 0129

ईमेल : cameo@cameoindia.com

Email : cameo@cameoindia.com





इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

INDIAN OVERSEAS BANK

Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार 26 नवंबर, 2014 को पूर्वाह्न 10.30 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञाननंदा हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यो हेतु आयोजित की जाएगी:

निम्नलिखित संकल्प पारित करके, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उमकर्मों के अंतरण) अधिनियम, 1970 (अब से जिसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9(3)(आइ) जिसे बैंकिंग विनियमन, 1949 और राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 (अब से जिसे "योजना" कहा जाएगा) और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 (2008 तक संशोधित) (अब से जिसे "विनियमन" कहा जाएगा) जिसे अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाया गया है और अधिसूचना संख्या डीबीओडा संख्या बीसी संख्या 46/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01 नवंबर, 2007 जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के संख्या डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 (अब से जिसे "आरबीआई अधिसूचना" पढ़ा जाएगा) के साथ पढ़ा जाएगा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अर्द्धकालिक गैर कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांकित 03 सितंबर 2013 के संबंध में बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चयन करना(केंद्र सरकार के अलावा):-

"संकल्प किया गया कि अधिनियम की धारा 9(3)(आइ) के अनुसरण में जिसे प्रासंगिक योजना, तदन्तर्गत बनाए गए विनियमनों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना इत्यादि के साथ पढ़ा जाएगा, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चयनित दो निदेशक, बैंक के निदेशक के तौर पर नियुक्त चयनित निदेशक 8 दिसंबर 2014 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक बैंक के निदेशक के पद पर बने रहेंगे।"

(निदेशक मंडल के आदेशानुसार)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के लिए

(अतुल अग्रवाल)

कार्यपालक निदेशक

स्थान : चेन्नै- 600 002

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2014

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that an **Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Wednesday, the 26th November, 2014** at 10.30 A.M. at Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall), 314 TTK Road, Chennai - 600 018 to transact the following business:

To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and GOI Letter dated 03rd September 2013 on Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks, by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications etc., be and are hereby appointed elected as the Directors of the Bank to assume office from 8th December 2014 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Directors".

(By Order of the Board of Directors)
For Indian Overseas Bank

(Atul Agarwal)

Executive Director

Place : Chennai- 600 002

Date : 20th October, 2014



नोट

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक के उद्देश्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है।

2. वोटिंग अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (2ई) के अनुसार, समवर्ती नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अलावा, अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग लिए प्राधिकृत नहीं होगा।

उपर्युक्त को देखते हुए, विनियम 68 के अनुसार, निर्धारित तिथि यानि शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2014 को शेयरधारक के तौर पर पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक, बैंक के दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में सहभागिता (नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट) के लिए हकदार होगा और कार्यसूची के मदों पर वोट के लिए निर्धारित तिथि को धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसके पास एक वोट होगा।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से है, पंजी में पहले जिस व्यक्ति का नाम होगा, वोटिंग के संबंध में, उसे ही मूल धारक समझा जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तब सिर्फ पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और वह बैठक में सिर्फ नामांकन, चुनाव लड़ने एवं वोट के लिए पात्र होगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह जरूरी नहीं है।

जो भी हो, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी के पास बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70 (VI) के अनुसार, प्राक्सी के किसी लिखत के प्रदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप से उस लिखत के लिए वोट करने के लिए अधिकार नहीं होगा जिससे वह संबंधित है।

प्रॉक्सी फॉर्म, प्रभावी होने के लिए, सहायक महा प्रबंधक, निवेशक संबंध कक्ष, तुलनपत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 द्वारा, कम से कम असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 21 नवंबर 2014 को सायं 5 बजे बैंक की कार्यावधि की समाप्ति या उससे पहले तक प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट के, जो बैंक के शेयरधारक हैं, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर तब तक बैठक में सहभागिता करने का हकदार नहीं हो सकता जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 21 नवंबर 2014 को सायं 5 बजे बैंक की कार्यावधि की समाप्ति या उससे पहले प्राप्त नहीं की जाती।

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची -सह- मतदान पत्र पास:

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्चीसह प्रवेश पास- सह मतदान पत्र पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उसे अभ्यर्पित करें। प्रॉक्सी / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति सह प्रवेश पर्ची पास में प्रॉक्सी/प्रतिनिधि धारक, जो भी लागू हो, अंकित करना है। मतदान के समय मतदान पत्र की प्राप्ति के लिए मतदान पत्र पास का हिस्सा अभ्यर्पित करना चाहिए।

6. अंतरण:

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाणपत्र को शेयर अंतरण एजेंट को उस पते पर अग्रेषित करना चाहिए जो इस सूचना में अन्य किसी जगह दिया गया है।



NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date** i.e., on **Friday, the 24th October, 2014** will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of two Shareholders' Directors of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the **Specified Date** to vote on the items on the agenda.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

HOWEVER THE PROXY SO APPOINTED WILL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. NO PERSON SHALL BE APPOINTED AS A PROXY WHO IS AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF INDIAN OVERSEAS BANK.

As per Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument

relates.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Central Office of the Bank with the **Assistant General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002**, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., **on or before 05.00 P.M., the closing hours of the Bank on Friday, the 21st November, 2014.**

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank with the Assistant General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai 600 002,, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., **on or before 05.00 P.M, the closing hours of the Bank on Friday, the 21st November, 2014.**

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

6. TRANSFERS:

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent



7. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.

(आइओबी-यूनिट)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, प्रथम तल,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

टेलीफोन : 044-2846 0390 (छह लाइनें)

044-2846 0395

फैक्स : 044 -2846 0129

ईमेल : investor@cameoindia.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने पंजीकृत पते और इसीएस अधिदेश ब्योरे में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, सिर्फ संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) को दें।

8. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते और दूरभाष और मोबाइल नंबर में परिवर्तन के बारे में सूचित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक संपर्क साध सके।

व्याख्यात्मक विवरण

निदेशकों का चयन:

18.11.2011 को आपके बैंक ने शेयरधारकों में से, केंद्र सरकार के अलावा, दो निदेशकों श्री ए वी सरदेसाई और श्री सडगोपन का चुनाव किया था और उन्होंने 08.12.2011 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 07.12.2014 को समाप्त हो रहा है।

रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से जो 08.12.2014 को उत्पन्न होंगी, आपका बैंक बुधवार, 26 नवंबर 2014 को बुलाई गई असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारक निदेशकों के चयन का प्रस्ताव करता है।

अतः, शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) केंद्र सरकार के विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम/ योजना/ विनियमनों/ अधिसूचना/ निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के विवरण, प्रासंगिक उद्धरणों/ अंशों के अनुसार जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है अपना नामांकन भेजने के लिए अधिकृत हैं। दो निदेशकों तक का चयन या तो शेयरधारक जो नामांकन प्रस्तुत करेंगे उसकी जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके सुयोग्य एवं समुचित होने का निर्धारण करने के बाद या उसके बाद असाधारण सामान्य बैठक में चुनाव से किया जाएगा। माना जाएगा कि इस प्रकार चयनित निदेशक 8 दिसंबर 2014 से पदभार ग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण करने की ऐसी तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।



at the address given elsewhere in this Notice for the transfer of shares of the Bank.

7. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s.Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
1st Floor, No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Tel : 044 – 2846 0390 (Six Lines)
044 – 2846 0395
Fax : 044 – 2846 0129
email: investor@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

- 8.** Shareholders are requested to up date and intimate the e-mail addresses and the telephone and mobile numbers to enable the Bank to contact in case of need.

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF DIRECTORS:

Your Bank had elected two Directors viz. Shri. A.V.Sardesai and Shri Sadagopan, from amongst the shareholders other than Central Government on 18.11.2011 and they assumed office on 08.12.2011. Their term of office comes to an end on 07.12.2014.

With a view to fill in the vacancies that will arise on 08.12.2014, your Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at an Extraordinary General Meeting convened on Wednesday, 26th November, 2014.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Upto two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 8th December, 2014 and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.



विधिक प्रावधान:

निम्नलिखित टेबल इस संबंध में लागू प्रावधानों को दर्शाता है जो विभिन्न अधिनियमों/ विनियम अधिनियम/ योजना/ विनियमनों/ अधिसूचनाओं केंद्र सरकार से निदेश में दिए गए हैं:

अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना / निदेश	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त हित ➤ समान निदेशकों की मनाही ➤ अपने किसी भी निदेशक की ओर से या निदेशक को अग्रिम या ऋण स्वीकृत करने पर रोक
बैंकिंग कंपनी अधिनियम (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(आइ) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वोटिंग अधिकारों पर पाबंदी ➤ शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के तौर पर चुने जाने का पात्र नहीं होगा यदि उस व्यक्ति के पास अपने ट्रैक रिकॉर्ड, नैतिकता और भारतीय रिजर्व बैंक जैसा निर्धारित करे उन मानदंडों के आधार पर सुयोग्य एवं समुचित स्टेटस नहीं है। ➤ इस प्रकार चयनित निदेशक को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार जो कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। ➤ निष्ठा एवं गोपनीयता के प्रति जिम्मेदारी
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	उपबंध 9(4) उपबंध 10 उपबंध 11 उपबंध 11ए उपबंध 11बी उपबंध 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चयनित निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के तौर पर चयन के लिए अयोग्य ➤ निदेशक का पदभार रिक्त करने ➤ चयनित निदेशक को पदभार से हटाने ➤ चयनित निदेशक पद की आकस्मिक रिक्ति को भरना ➤ निदेशक द्वारा कुछ प्रबंधों में रुचि जाहिर करना जिसमें उन्हें रुचि है।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2003 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों द्वारा अधिकारों का प्रयोग ➤ सामान्य बैठकों में वोटिंग ➤ सामान्य बैठकों में निदेशकों का चयन होगा ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकों की जांच ➤ चुनावी विवाद ➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग ➤ प्रॉक्सियां
आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीओडी संख्या बीसी संख्या 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 व संख्या डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) एवं 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में मौजूद चयनित निदेशकों के लिए सुयोग्य एवं समुचित की शर्तें
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भ एफ. संख्या 16/83/2013- बीओ.आई के जरिए पत्र दिनांकित 03 सितंबर 2013 एवं पत्र दिनांकित 01.06.2011 अल्पकालिक गैर-कार्यकारी निदेशकों के चयन के लिए दिशानिर्देश		सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. बीसी. 16/13.03.00/2014-15 दिनांकित 01 जुलाई-2014.		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिमों की मंजूरी
लिस्टिंग करार का उपबंध 49		स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान



LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/ Notifications/Directions from Central Government applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS/DIRECTIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Sec.9(3A)(A)to(C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 (Amended upto 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011.		Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular DBOD. No. BC. 16/13.03.00/2014-15 dated July 1, 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors
Clause 49 of the Listing Agreement		Provisions relating Independent Director



शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना/ विनियम के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी. संख्या बीसी. संख्या 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 एवं संख्या डीबीओडी.बीसी. संख्या 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23.05.2011 से प्रासंगिक उद्धरण और भारत सरकार के दिशानिर्देश हमारे बैंक की वेबसाइट, www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। नामांकन फॉर्म की प्रस्तुति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानि मंगलवार 11 नवंबर 2014 को या उससे पहले सहायक महा प्रबंधक (निवेशक संबंध कक्ष), तुलनपत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 पते पर लिखित आग्रह की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवार को यह उद्धरण ईमेल भी किए जाएंगे।

चुनाव में सहभागिता:

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम निर्धारित तिथि यानि शुक्रवार 24 अक्टूबर 2014 को शेयरधारकों की पंजी में होगा/ एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत हितधारक में होगा वे केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने डाने वाले निदेशकों के चुनाव में सहभागिता यानि नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

(क) बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता

1. धारा 9(3ए) के की शर्तों के अनुसार, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(आइ) के अंतर्गत निदेशक के तौर पर चयनित होने का इच्छुक है उसके पास
- क. निम्नलिखित मामलों में से किसी एक या अधिक में कार्य का अनुभव या विशेष ज्ञान होना चाहिए जैसे:-
 - i) कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii) बैंकिंग
 - iii) सहयोग
 - iv) अर्थशास्त्र
 - v) वित्त
 - vi) कानून
 - vii) लघु उद्योग
- भारतीय रिजर्व बैंक की राय में किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और कामकाजी अनुभव बैंक के लिए उपयोगी होगा; या
- ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता है ; या
- ग. किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है
2. अधिनियम की धारा 9(3ए) और आरबीआइ अधिसूचना के

अनुसार, जो उम्मीदवार बैंक का शेयरधारक रहते हुए बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसके पास 'सुयोग्य एवं समुचित' स्टेटस होना चाहिए। आगे, चयनित निदेशक को लिखित वचन का विलेख कार्यान्वित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

बैंक के निदेशक के तौर पर नहीं चुने जाने की अयोग्यताएं

योजना के उपबंध 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति बैंक के निदेशक के तौर पर नियुक्ति या के लिए अपात्र करार दिया जाएगा:

- i) यदि उसे किसी भी समय न्यायिक निर्णय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान में देरी की हो या अपने उधारकर्ताओं के साथ विवाद किया हो; या
- ii) यदि यह पाया जाता है कि उसका दिमाग सही नहीं है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या
- iii) किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी करार दिया जा चुका हो नैतिक अधमता से जुड़ा हो; या
- iv) अधिनियम की धारा 9 के उपखंड (3) के उपबंध (ई) व (एफ) के अंतर्गत नामांकित निदेशक और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक का पदभार संभालने के अलावा यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित सब्सिडियरी बैंक में लाभ के पद पर हो और
- v) बैंक की निदेशकों की नामांकन समिति की अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक - डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 एवं डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 के संबंध में यदि वह सुयोग्य एवं समुचित नहीं पाया जाता है।
- vi) यदि वह इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची

जैसा कि विनियमन के विनियम 64 में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक यानि (सीडी) या ऐसे किसी अन्य मीडिया के रूप में शेयरधारकों की सूची की एक प्रति बुधवार 5 नवंबर 2014 से सहायक महा प्रबंधक (निवेशक संबंध कक्ष), तुलनपत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में शेयरधारकों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार) का भुगतान "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक" के पक्ष में चेन्नै में देय मांग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश द्वारा करना होगा। कथित सूची खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक शपथपत्र देना होगा कि सूची



For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website, www.iob.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a written request addressed to the Assistant General Manager (Investor Relations Cell), Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Tuesday, 11th November, 2014.

PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified Date i. e., on Friday, 24th October, 2014 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
 - A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - a) agriculture and rural economy
 - b) banking
 - c) co-operation
 - d) economics
 - e) finance
 - f) law
 - g) small scale industryany other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank; or
 - B. represents the interest of depositors; or
 - C. represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI notification, a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Clause 10 of the Scheme, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- e) if he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India - DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
- f) if he is not found to complying with the Guidelines issued by the Central Government in this regard.

List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Regulations, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) or such other media) will be available from the Assistant General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai at the Central Office of the Bank from Wednesday, the 5th November, 2014 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/-



का उपयोग चुनाव के लिए प्रचार में किया जाएगा न कि अन्य किसी और उद्देश्य के लिए किया जाएगा चाहे वो जो भी हो।

शेयरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण हेतु 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में हर कार्यदिवस (रविवार तथा बैंक की छुट्टियों के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तक 11.00 बजे से 4.00 बजे तक तथा शनिवार को 11.00 बजे से 1.00 बजे तक खुला रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक इसकी आंशिक सूचना की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है, तो उसे रु. 5 प्रति 1000 शब्द या कॉपी किए जाने वाले आंशिक हिस्से की दर से भुगतान के पश्चात् इसकी आपूर्ति की जाएगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन

विनियमों के विनियम 65 तथा डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23.05.2011 तथा अधिसूचनाओं, अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के साथ रिज़र्व बैंक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 के आधार पर निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा, जब

क) निर्वाचन में भाग लेने हेतु अभिलेख तारीख शुक्रवार 24 अक्टूबर 2014, चुनाव में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट तारीख, को बैंक के शेयरधारक के रूप में उसके पास बैंक का न्यूनतम 100 शेयर हो, तथा बैठक की तारीख तक तथा चुने जाने पर अपनी कार्याधि की समाप्ति तक कम से कम 100 शेयर अवश्य हों।

ख) उसे अधिनियम/ योजना / विनियमन/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् बुधवार 11 नवंबर 2014 को निदेशक के रूप में निर्वाचन के अयोग्य न ठहराया गया हो।

ग) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों के चुनने का हक रखनेवाले कम से कम 100 (एक सौ) शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत संघटित अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर महाप्रबंधक (निवेशक संबंध), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

घ) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित एक इस आशय का घोषणा-पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने

का इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम या योजना के तहत या इन विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेश बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उम्मीदवार से यह भी अपेक्षित है कि वह संलग्न प्रपत्र (बायो-डाटा) में अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें और उसपर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें, जिसमें इस आशय की पुष्टि होगी कि दिए गए विवरण उसकी जानकारी एवं विश्वास में पूरी तरह सही है और वह इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि घोषणा के पश्चात् संभावित उन सभी घटनाओं से बैंक को पूरी तरह अवगत कराता रहेगा जो दी गई जानकारी से जुड़ी होंगी।

च) नामांकन प्रपत्र तथा घोषणा प्रपत्र विनियमन द्वारा निर्धारित हों तथा अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार हो। (प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर भी उपलब्ध है।)

छ) उसे विनियमन अधिनियम या योजना के अधिनियम या विनियमन तथा आरबीआइ अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांकित 01.06.2011 के अंतर्गत अयोग्य न ठहराया गया हो।

नामांकन फार्म जमा करना :

केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

क) विधिवत भरा गया घोषणा पत्र

ख) चुनाव में भाग लेने योग्य कम से कम 100 शेयरधारकों का नामांकन

ग) बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र आदि की स्व हस्ताक्षरित प्रतियों जैसे संबंधित दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों के साथ नोटिस के अनुबंध में दिए गए प्रारूप में वैयक्तिक जानकारी, घोषणा व वचन-पत्र एक अलग मोहरबंद लिफाफे में, जिसपर "शेयरधारक निदेशक के लिए नामांकन" अंकित हो, महा प्रबंधक (निवेशक संबंध), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 को असाधारण सामान्य बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 11 नवंबर 2014, मंगलवार को या उससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस को सायं 5.00 बजे से पहले प्रस्तुत करने होगा।

घ) उक्त नामांकन प्रपत्र तथा अन्य दस्तावेजों को सभी तरह से पूरा होना चाहिए जिसके अभाव में नामांकन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नामांकनों तथा निदेशकों के चुनाव की जाँच

क. नामांकनों की जांच नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के परवर्ती प्रथम कार्य दिवस यानी कि बुधवार 12 नवंबर 2014 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन का वैध होना पाया नहीं जाता है तो इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा।



(Rupees fifty thousand only) by Demand Draft / Pay Order in favor of "Indian Overseas Bank" payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 11.00 A. M. to 4.00 P.M. and on Saturday between 11.00 A.M. to 1.00 P.M. at the Bank's Central Office at 763, Anna Salai, Chennai 600 002.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India Notification DBOD No. BC. No. 46 & 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- a) He / she is a shareholder holding **not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the 24th October 2014** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on Wednesday, 11th November, 2014, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/ GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of the Bank addressed to the **General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002** and such copy shall be deemed to be a

nomination on behalf of such Company.

- d) The nomination is accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI Guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website, www.ioab.in)
- f) He / She is not disqualified under the Regulation Act, or the Act or the Scheme or the Regulations, and RBI Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and GOI Guidelines dated 01.06.2011.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the **General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002** on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 5.00 P.M., on Tuesday, the 11th November, 2014.
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.



ख) बोर्ड की नामांकन समिति नामांकनों की जाँच आरबीआइ अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर भी करेगी।

ग) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सिर्फ दो या दो से कम वैध नामांकन होते हैं तो नामित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और डाक पत्तों को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में असाधारण सामान्य बैठक रहू हो जाएगी। नए चुने गए निदेशकगण 8 दिसंबर 2014 को कार्यभार संभालेंगे।

घ) दो से अधिक वैध नामांकन होने पर उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। चुनाव आयोजित किया जाएगा तथा अधिक वोट प्राप्त उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा तथा उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और सामाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

26 नवंबर 2014 को मतदान-प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव के लिए वोटिंग मतदान द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा के तुरंत बाद बैलट पेपर्स जारी कर दिए जाएंगे तथा यह 1.30 बजे तक जारी रहेगा। बैलट पेपर्स इस कार्य हेतु बनाए गए काउंटरो पर शेरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पंजीकरण के वक्त जारी बैलट पेपर लौटाने पर जारी किए जाएंगे। वोटों की संख्या शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2014 को उनके पास के शेरों की संख्या के समतुल्य होगी।

शेरधारक बैलट पेपर में अपनी पसंद के दो नामों के सामने रबर स्टॉप लगाकर बैलट बॉक्स में डालकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मतों की गणना की जाएगी तथा बैठक के अध्यक्ष द्वारा इसके परिणाम की घोषणा की जाएगी।

मतदान व चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, बैंक द्वारा उक्त हेतु नियुक्त एक स्वतंत्र परामर्शदाता (जांचकर्ता) द्वारा केंद्रीय सरकारी नामिती की निगरानी में पूरी की जाएगी।

नामांकन वापिस लेना:

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे, तो वह मंगलवार 25 नवंबर 2014 को बैंक की कार्यसमाप्ति यानी शाम के 5.00 बजे से पूर्व कभी भी एक पत्र या फैंक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

विवाद:

किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटान विनियमनों के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

सार:

शेरधारकों के लाभ हेतु प्रभावी अधिनियम/योजना/ विनियमन/ अधिसूचना / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के महत्वपूर्ण हिस्सों का सार अनुबंध में दिया है।

निदेशकों के हित:

अपनी शेरधारिता की सीमा में बैंक के निदेशक तथा नामांकन दर्ज करने वाले निदेशकों को उक्त कथित कारोबार मद से संबंधित या इच्छुक माना जाए।

(निदेशक मंडल के आदेशानुसार)
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के लिए

स्थान : चेन्नै- 600 002
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2014

(अतुल अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक



SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Wednesday, the 12th November, 2014 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of RBI Notifications / GOI guidelines.
- c) **If there are only two or less that two valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. The newly elected directors will assume office on 8th December, 2014.**
- d) If there are more than two valid nominations, the names of the candidate shall be published in the newspaper/s. Election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also published in newspapers.

POLL PROCESS ON November 26, 2014:

The voting for Agenda pertaining to Election of Directors shall be done by Poll. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 1.30 P.M. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / Proxy holders / authorized representatives on surrender of Ballot Paper pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on Friday, 24th October, 2014.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of two candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es). The counting of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the meeting.

The entire process of Poll and Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

Withdrawal of Nominations:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 P.M., on Tuesday, the 25th November, 2014.

Disputes:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Extracts:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification / GOI Guidelines are annexed for the benefit of the shareholders.

Interest of Directors:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

(By Order of the Board of Directors)
For **Indian Overseas Bank**

Place : Chennai- 600 002
Date : 20th October, 2014

(**Atul Agarwal**)
Executive Director



निदेशकों के चुनाव- महत्वपूर्ण अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमों आदि का सार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

धारा 5(एन-ई) पर्याप्त हित

- क) कंपनी के संबंध में, पर्याप्त हित का अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या उसके पति, पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ में धारित लाभकारी हित, जिस पर प्रदत्त राशि रु. पांच लाख से अधिक हो या कंपनी की प्रदत्त पूंजी का दस प्रतिशत, जो भी कम हो।
- ख) संस्था के संबंध में, पर्याप्त हित का अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या उसके पति, पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ में धारित लाभकारी हित, जो उक्त संस्था के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक को व्यक्त करे।

सामान्य निदेशकों का निषेध- धारा 16(1)

भारत की किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध : धारा 20 :

1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी
- क) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा
- ख) निम्नलिखितों को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी।
- (i) अपने किसी निदेशक
- (ii) किसी भी फर्म जिसमें उनका कोई निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या

(iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो, अथवा

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।

2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खण्ड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किन्तु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए। बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।

यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

3. उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।
4. जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने के स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो



ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended and the relevant regulations of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Section 5 (n-e) “Substantial Interest

- (i) In relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less.
- (ii) In relation to a firm, means the beneficial interest held therein by the individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

- (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
- (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company



व्याख्या - इस धारा में

- क) “ऋण या अग्रिम” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- ख) निदेशक से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।
5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई लेन-देन ऋण है या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन से मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई): केन्द्रीय सरकार को छोड़कर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मण्डल का गठन

धारा 9(3)(i) : जहां धारा 3 की उप धारा (2 ख) के खण्ड(ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी

- कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक
- कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो दो निदेशकों
- कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशकों का चुनाव केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा अपनों में से किया जाना है।

बशर्ते इस धारा के तहत ऐसे किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक उक्त योजना में यथानिर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

यह भी शर्त है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम तथा वित्तीय संस्थानों के नियम (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ पर या उससे पूर्व सदृश नए बैंक में चुने गए निदेशकों की संख्या

उप खंड (1) या उपखंड (2) या उपखंड (3) में निर्दिष्ट संख्या, जैसा भी मामला हो, से अधिक होने पर ऐसी शुरुआत से पूर्व चुने गए निदेशकों की ऐसी अतिरिक्त संख्या योजना में निर्दिष्ट रूप से सेवानिवृत्त होंगे तथा ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल से समयपूर्व सेवानिवृत्ति हेतु किसी मुवावजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3ए) : उपधारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक :

- निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त निदेशक होंगे :
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - ऐसा अन्य कोई विषय जिसका विशेष ज्ञान या जिसमें प्राप्त व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे, या

ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे।

धारा 9(3एए) धारा (3ए) के प्रावधानों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह और इस अधिनियम में उल्लिखित किसी भी नियम के विपरित या निवर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के विपरित न होते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, उपधारा 3 खण्ड 1 के तहत तब तक निदेशक चुने जाने का पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने ट्रेकरिकार्ड, विश्वसनीयता और इस प्रकार के अन्य मानदंडों जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक इस संदर्भ में समय - समय पर अधिसूचित करता रहता है, को पूरा न करता हो।

धारा 9 (3एबी) भारतीय रिजर्व बैंक उप धारा 3(ए) के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना में सुयोग्य एवं समुचित हैसियत का निर्धारण करने के प्राधिकार, इस तरह के निर्धारण की पद्धति, इस तरह के निर्धारणों के पालन के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले जिन्हें वांछित व संबंधित समझा जाता हो, को विनिर्दिष्ट करेगा।

धारा 9(3बी) : जहाँ रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक की उपधारा (3) के खण्ड(i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3 ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को,



on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
 - b) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9 (3) (i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such directors under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in

such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely-
 - i) Agriculture and rural economy
 - ii) Banking
 - iii) Co-operation
 - iv) Economics
 - v) Finance
 - vi) Law
 - vii) Small scale industry
 - viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Bank.

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having ‘fit and proper status’ based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the ‘Fit and Proper’ status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.



उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयर धारकों की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक को निर्वाचित होने तक ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकारी, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

खंड 4: नामित निदेशकों की सेवानिवृत्ति का तरीका

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (4) में संदर्भित निदेशकगण बारी बारी से सेवामुक्त होंगे। चुने गए निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने पर पिछले नामांकन से कार्यालय में सबसे अधिक समय से रहने वाले निदेशक सबसे पहले सेवानिवृत्त होंगे तथा एक ही दिन कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों के बीच, सेवानिवृत्ति उनके द्वारा किए गए किसी करार के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी।

खण्ड 9 : निर्वाचित निदेशकों का सेवाकाल

9(4) निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए और तदुपरांत उनके उत्तराधिकारी का विधिवत् निर्वाचन होने तक पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारित नहीं करेगा

खण्ड 10: बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव हेतु अयोग्यता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनाये जाते समय अयोग्य ठहराया जाएगा :

- यदि उसे किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या प्रशमन किया हो, या
- यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो, या
- यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की धारा

(1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है किन्तु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (इ) व (एफ) खंडों के अंतर्गत संबंधित नये बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है

निदेशक के पद का रिक्त होना

खण्ड 11

- यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
- अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड(बी) या खण्ड(सी) या खण्ड(डी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
- उपरोक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (इ) और (एफ) में संदर्भित निदेशक का कार्यालय, उक्त निदेशक के, उस राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कर्मकार के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
- जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खण्ड 11 ए

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारक ऐसे सभी शेयर धारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयर धारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के, खण्ड(1) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।



Section 9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA), as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 4: Manner of Retirement of Nominee Directors

The directors referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act, shall retire by rotation, when the elected directors assume charge, in such manner that the directors who have been longest in office since last nomination, shall retire first and as between persons, who became directors on the same day, those who are to retire, shall, in default of or subject to any agreement among themselves, be decided by the Central Government.

Clause 9: Term of office of elected directors

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10: Disqualification of Directors

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India, constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

- 1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3) Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4) Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all



निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

खण्ड 11 बी

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।
बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छः महीनों से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।
2. उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा

खण्ड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसे संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसे संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह:

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सरकारी समिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि यह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) या (एफ) के अधीन नियुक्त निदेशक है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित)

अध्याय II

10. संयुक्त शेयर धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो पंजी में दर्ज प्रथम नामित व्यक्ति को ही लाभांश की प्राप्ति, वोटिंग अधिकार, सर्विस नोटिस और इण्डियन ओवरसीज बैंक से संबंधित अन्य कोई मामले, शेयरों का अंतरण मात्र छोड़कर एक मात्र धारक माना जाएगा।

अध्याय - IV

सामान्य बैठकों में वोटिंग

विनियम 61 :

- i. किसी भी सामान्य बैठक में, कोई भी संकल्प जिसे बैठक के वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब तक मतदान की मांग न की गई हो, निर्णय हाथ उठाकर सहमति के आधार पर किया जाएगा।
- ii. अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अलावा सामान्य बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा।
- iii. जब तक कि उपविनियम (i) के अंतर्गत मतदान की मांग न की गयी हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किया गया / नहीं किया गया है तो एकमत से अथवा विशिष्ट बहुमत से एवं इस आशय को एक प्रविष्टि उन बहियों में जिसमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो वह इस तथ्य का इस प्रकार के संकल्प के पक्ष विपक्ष में डाले गये मतों की संख्या / अनुपात के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य होगा।
- iv. किसी भी संकल्प पर हाथ उठाकर मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व अथवा परिणाम पर बैठक का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे सकता है और इस मामले में किसी शेयरधारक अथवा शेयर धारकों द्वारा जो बैठक में स्वयं उपस्थित हो अथवा उनके परोक्षी के माध्यम से जिनके पास बैंक की शेयर धारिता है, जिनके द्वारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पांचवे भाग से कम नहीं, के द्वारा मांग करने पर वह आदेश प्राप्त करेंगे।
- v. मतदान के लिए मांग मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
- vi. बैठक के अध्यक्ष के स्थगन या चुनाव के मामले पर मतदान की मांग तत्काल ली जायेगी।
- vii. किसी अन्य मामले पर मतदान की मांग को ऐसे समय के भीतर लिया जायेगा जो मांग किये जाने से 48 घंटे से अधिक नहीं हो जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निर्देशित करें।
- viii. किसी व्यक्ति के मताधिकार की पात्रता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है सभी मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।



such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors

- 2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- 1) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- 2) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. INDIAN OVERSEAS BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003 (AMENDED UPTO 2008)

Chapter II

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Overseas Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Chapter IV

Voting at general meetings

Regulation 61:

- i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation(i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.



अध्याय - V

सामान्य बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

विनियम 63:

- i) एक निदेशक अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (i) के तहत इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की सामान्य बैठक में केंद्रीय सरकार को छोड़कर अपने में से ही रजिस्टर पर दर्ज शेर धारकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा ।
- ii) जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, इसकी नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही शामिल कर ली जाएगी । इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जाएँगे ।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु, रजिस्टर पर उन शेयर धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव होने वाला है ।
- ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए, निर्धारित तारीख से कम-से-कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध करायी जाएंगी ।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियम 65:

- i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब
 1. वह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कम से कम 100 शेयर रखनेवाला एक शेयर धारक हो;
 2. उसे, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस अधिनियम के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो
 3. उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में माँग-राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उस से पूर्व माँग-राशि अदा कर दी हो।

4. नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत संघटित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) के केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।
5. नामांकन में या उस के साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है;
- ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सहित (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) केंद्रीय कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित तारीख से पूर्व 14 दिनों के अंदर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता ।

नामांकनों की संवीक्षा

विनियम 66:

- (i) नामांकनों की प्राप्ति की निश्चित तारीख के बाद के प्रथम कार्यदिवस को उनकी संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी एक खास रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन हो तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त चुन लिया गया मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता उसके इस तरह चुन लिये जाने के रूप में प्रकाशित कर दिये जाएँगे । ऐसी हालत में इस प्रयोजन हेतु बुलायी गयी बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से ही बुलायी गयी हो तो वह रद्द हो जाएगी ।
- (ii) चुनाव होने की हालत में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा ।
- (iii) वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उस ने निर्वाचित होने या निर्वाचित माने जाने की तिथि के अगले दिन से अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है ।



Chapter V

Directors to be elected at general meeting

Regulation 63

- i) A Director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Indian Overseas Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

- i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Central Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 65:

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Overseas Bank;
 - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors

under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of Indian Overseas Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

- e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director;
- ii.) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Central Office of Indian Overseas Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 66:

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.



चुनाव संबंधी विवाद

विनियम 67:

- (i) निर्वाचित माने या घोषित किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठता है, तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेर धारक हो ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 दिनों के अंदर उसके संबंध में लिखित रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा व्योरा प्रस्तुत करेगा, जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह किया हो या विवाद उठाया हो।
- (ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।
- (iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जाँच पड़ताल करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या, यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह जाँच-पड़ताल शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर फिर से चुनाव कराने सहित ऐसा आदेश तैयार करेगी और ऐसा निर्देश देगी जो समिति को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हो।
- (iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय - VI

शेर धारकों के मतदान अधिकार

मतदान अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68:

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेर धारक, जिसका सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व रजिस्टर बंद होने की तारीख तक शेर-धारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखा कर एक मत और मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेर के लिए एक मत दे सकेगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन, प्रत्येक शेर धारक जो कि एक कम्पनी न हो, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेर धारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी के जरिए उपस्थित हो या जो एक कम्पनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो

प्रत्येक शेर धारक हाथ दिखा कर एक मत देने और मतदान होने के मामले में यहाँ ऊपर उप विनियम (i) में बताये अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेर के लिए एक मत दे सकेगा।

व्याख्या : इस अध्याय के लिए 'कम्पनी' से आशय कोई नैगम निकाय है

- iii) सामान्य बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखनेवाले शेर धारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्राक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेर धारक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक रखते हैं परंतु इस तरह नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69:

- i) ऐसा शेर धारक, जो केन्द्र सरकार या एक कम्पनी हो, यथास्थिति, संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में 'विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि', के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कम्पनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का व्यक्तिगत शेर-धारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- ii) कोई भी व्यक्ति तब तक कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेर धारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा और मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से 4 दिन पहले प्रेषित नहीं कर दिया जाता।

प्राक्सी

विनियम 70:

- (i) प्राक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह व्यक्तिगत शेर धारक के मामले में उनके या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो या संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में प्रथम दर्ज शेर धारक द्वारा या लिखितरूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

परन्तु यह कि किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित होगा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो, यदि उस पर उस का निशान लगा दिया जाये



Election disputes:

Regulation 67:

- i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Chapter VI

Voting Rights of Shareholders:

Determination of voting rights:

Regulation 68:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or

by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.

- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

- i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representative” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Proxies:

Regulation 70

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is



और वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राज पत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये ।

- ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत मुद्रांकित न हो और उसकी प्रति बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार-पत्र के साथ (यदि कोई हो), जिसके तहत वह हस्ताक्षरित है या उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, जमा न करा दी गयी हो बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार-पत्र इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पहले ही जमा पंजीकृत न कराया जा चुका हो ।
- iii) प्रॉक्सी संबंधी कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होता जब तक वह फॉर्म 'बी' में न हो ।
- iv) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में जमा कराया गया प्रॉक्सी का लिखत अ-प्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगा ।
- v) वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे ।
- vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी की लिखत-मंजूर करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो ।
- vii) जो व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत परोक्षी या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

सुयोग्य और समुचित मानदंड पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3ए) तथा (3एबी) के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, डीबीओडी बीसी सं 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 अधिसूचना जारी की जिसमें विशेष रूप से बताया गया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित व्यक्ति "सुयोग्य और समुचित" मानदंड पूर्ण करें।

अधिसूचना के मुख्य पहलू "सुयोग्य एवं समुचित" स्थिति के निर्णय के लिए प्राधिकारी, प्रविधि / क्रियाविधि आदि निम्नलिखित हैं:

क) प्राधिकार:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से कम से कम तीन सदस्यों की (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) "नामांकन समिति" गठित करने की आवश्यकता है । निदेशक मंडल द्वारा इनमें से एक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए । अध्यक्ष के साथ

तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है । किसी सदस्य की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल आगामी बैठक के लिए उनके स्थान पर किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है । नामांकन समिति के गठन के समय बोर्ड इसकी कार्याविधि तय कर सकता है ।

ख) प्रविधि एवं क्रियाविधि

नामांकन समिति द्वारा उक्त अधिनियम की उपधारा 9(3)(i) के तहत निदेशक के रूप में चुनने हेतु वर्तमान निदेशकों /व्यक्ति की "सुयोग्य और समुचित" स्थिति निर्धारित तय करने हेतु पूरी सावधानी बरतनी चाहिए । इसके लिए बैंक को वर्तमान चुने हुए निदेशकों / व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए जो चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करते हैं । नामांकन समिति को उम्मीदवार चुनने के संबंध में नामांकन स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले मिलकर नीचे दिए मानदंडों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकृत की जानी है या नहीं । समिति की चर्चा की बैठक औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए और यदि मतदान किया गया हो तो उसे भी वर्तमान तथा प्रस्तावित निदेशकों दोनों के संबंध में नोट किया जाना चाहिए । हस्ताक्षरित घोषणा में दी गयी जानकारी के आधार पर नामांकन समिति को उम्मीदवार की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेना चाहिए और जहाँ आवश्यक समझा जाता है वहाँ उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों / संस्थाओं आदि को सूचित आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कहा जाना चाहिए ।

ग) मानदंड

नामांकन समिति को नीचे दिए गए बोर्ड के मानदंडों के आधार पर वर्तमान, चुने निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की "सुयोग्य और समुचित" स्थिति निर्धारित करनी चाहिए :

- i) शैक्षणिक योग्यता
- ii) अनुभव तथा दक्षता का क्षेत्र
- iii) ट्रेक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उक्त सूची केवल उदाहरण के लिए हैं न की पूर्ण)

नामांकन समिति को देखना चाहिए कि क्या उक्त मानदंडों में से किसी के भी अननुपालन से वर्तमान चुने हुए निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्य निर्वाह करने में बाधा आती है । इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि उम्मीदवार के संबंध में प्राधिकारी / विनियामक एजेन्सी को कोई प्रतिकूल सूचना मिलने या दिवालिया होने या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए ऋण को न चुकाने से उम्मीदवार बैंक के बोर्ड का निदेशक बनने में अयोग्य तथा अनुचित होता है ।

घ) अन्य मामले

यह अपेक्षित है कि बोर्ड सुनिश्चित करे कि जनता के हित में चुने हुए निदेशक चुनाव के बाद तथा हर वर्ष 31 मार्च को हमारे परिपत्र सं डीबीओडी. सं.बीसी.116/08.139.001/2001-02 दिनांक 20 जून 2002 के जरिए डॉ. गांगुली समूह द्वारा संस्तुत प्रतिज्ञापत्र करार निष्पादित करते हैं ।



affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an officer of the Bank.

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'
- iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or proxy who is an officer or an employee of the bank.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI) , in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific " Fit and Proper " Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent

director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3) (i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed, from the existing elected directors/ persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/ proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters

It is desirable that the Board ensures, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.



यह बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों को हर वर्ष 31 मार्च को साधारण घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उनके द्वारा पहले से प्रस्तुत जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ भी परिवर्तन हो, निदेशकों ने आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की है। यदि कोई प्रमुख परिवर्तन हो नामांकन समिति को निदेशक की "सुयोग्य और समुचित" स्थिति का परीक्षण करके नए सिरे से सावधानी बरतनी चाहिए।

अंश-कालिक अनाधिकारिक निदेशक के चुनाव के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश:

निम्नलिखित मानदंड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्ड में अंश-कालिक अनाधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के नामांकन के लिए अपनाया जा सकता है।

सामान्य

- अ) नामांकन संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे।
- ब) नामितियों की उपयुक्तता का औपचारिक अर्हता एवं विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। निष्ठा एवं उपयुक्तता का निर्धारण, अपराधिक रिकार्डों पर सूचना, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों पर की गई सिविल कार्रवाई, पेशेवर निकायों से असम्मति, स्वीकृति या निष्कासन, नियामकों या उन्हीं जैसे लोगों द्वारा अनुपयुक्त प्रतिबंधों और पिछली शंकास्पद कारोबार अभ्यास आदि पर निर्भर होगा।
- स) विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग और आइटी के क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर सामान्यतः विचार किया जाएगा।
- ड) महिलाओं व अजा/अजजा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को यथासंभव प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है।

शिक्षा

- अ) एक अनाधिकारिक निदेशक को कम से कम स्नातक होना चाहिए।
- ब) किसानों, जमाकर्ताओं और कारीगरों के मामले में एसीसी के अनुमोदन से शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

आयु

- अ) निदेशक की आयु, नियुक्ति बोर्ड द्वारा संस्तुति की तिथि पर, 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे अधिक छूट वांछनीय नहीं है। हालांकि, अपर आयु सीमा में सिर्फ एसीसी के अनुमोदन से छूट दी जा सकती है और कारणों को मंत्रालय द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। (इस चुनाव के मामले में, बोर्ड की नामांकन समिति को अपने विवेक से आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है।)

कार्य अनुभव

पेशेवरों/अकादमीशियनों को विशेष क्षेत्र में सामान्यतः 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

अनर्हता

- अ) बैंक/वित्तीय संस्था में पहले से ही एक निदेशक, किसी भी वर्ग में, किसी अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ब) किराए-खरीद, वित्त, निवेश, पट्टा उधार एवं अन्य पैराबैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी एवं स्टॉक ब्रोकर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
- स) कोई भी व्यक्ति एक बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता जिसमें उसने दो अवधियों या छह वर्षों जो भी लम्बा हो के लिए किसी भी वर्ग के तहत अनाधिकारिक निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
- ड) एक अनाधिकारिक निदेशक का एक बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा निदेशक, चाहे लगातार या सविरामता से पहले ही किसी अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में छह वर्षों के लिए अनाधिकारिक निदेशक / शेरधारक-निदेशक रह चुका है। [अनाधिकारिक निदेशकों के लिए छह वर्षों के लिए दो अवधियों का सामान्य नियम सीए वर्ग के तहत नियुक्त होने वाले निदेशकों के लिए भी लागू होगा।]

पेशेवर प्रतिबंध

- ए) अनाधिकारिक निदेशक उस बैंक/ वित्तीय संस्था के निदेशक के रूप में कार्यालय से पद-त्याग देने के बाद दो वर्षों के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेंगे / दिए नहीं जाएंगे।
- बी) किसी भी बैंक में अनाधिकारिक निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान, ऐसा निदेशक उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कोई भी पेशेवर कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, अधिवक्ता के रूप में विधिक शुल्क या नामिकायन आदि) नहीं करेगा।
- सी) एसबीआई के मामले में, ऐसे प्रतिबंध सहयोगी बैंकों को भी कवर करेंगे। हालांकि, किसी अन्य बैंक / बीमा कंपनी के संदर्भ में, फर्म को नियुक्ति की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, अनाधिकारिक निदेशक स्वयं को फर्म के कारोबार के उस भाग को संभालने के लिए चुनता है, जहाँ हित में विरोध हो सकता है।
- डी) यदि एक व्यक्ति बैंक के साथ सहयोगी बैंक को शामिल करते हुए पेशेवर संबंध रखता है, तो उसे किसी भी बैंक के बोर्ड में नामित करने के लिए चयनित किया जा सकता है, पर उसे ऐसी नियुक्ति से पहले बैंक के साथ संबंधों को खत्म करना होगा।
- ई) पीसीबी के बोर्ड में पेशेवरों को नामित नहीं किया जाएगा जिनके साथ उनके ऐसे नामांकन से पहले अंतिम 3 वर्षों के दौरान कारोबारी संबंध रहे हों।



It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GOVERNMENT OF INDIA GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

- a) Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- b) The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.
- c) Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
- d) As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

EDUCATION

- a) An NOD should at least be a graduate
- b) Educational qualifications may be relaxed with the approval of ACC in case of farmers, depositors and artisans.

AGE

- a) The age of the Director, on the date of recommendation by Appointments Board, should be between 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. However, the upper age limit may be relaxed only with the approval of the ACC and for reasons to be recorded by the Ministry. (In the case of this Election the Nomination Committee of the Board is empowered to relax the age limit at their discretion)

WORK EXPERIENCE

Professionals/academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION

- a) A director already on a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
- b) Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs.
- c) No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- d) An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. [The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also].

PROFESSIONAL RESTRICTION

- a) NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
- b) During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainer ship or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank.
- c) In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well. However, in respect of any other bank / insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non official director recluses himself/herself from handling that part of the business of the firm, where there may be a conflict of interest.
- d) If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.
- e) Professionals shall not be nominated on the Board of a PSB with which they have had a business relationship during the last 3 years before such nomination.





Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai-600 002

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER) (Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To
The Chairman and Managing Director
Indian Overseas Bank
Central Office,
Chennai – 600 002

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated 20th October, 2014, I, Shri / Smt _____
ashareholderofIndianOverseasBankholding_____equitysharesofRs. 10/-
each as on Friday, 24th October 2014 i.e., the Specified Date for participating in the Election, do hereby nominate
Shri / Smt. _____son / daughter / wife of _____
residing at _____ for being elected as a
Director of Indian Overseas Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of
the Shareholders of the Bank to be held on November 26, 2014.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

नामांकन फॉर्म

(शेयर धारकों द्वारा) (विनियमों के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें)

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय, चेन्नै - 600 002

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की आपके नोटिस के संदर्भ में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 24 अक्टूबर 2014, शुक्रवार को अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए अभिलेख तारीख को, प्रत्येक रु.10/- के _____ (संख्या) ईक्विटी शेयरों का शेयरधारक मैं, चेन्नै में मंगलवार, 26 नवंबर 2014 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(1) के उपबंधानुसार बैंक के शेयरधारक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने हेतु _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी _____ का एतद्द्वारा नामांकन करता /करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	
डी पी आइ डी सं. व क्लाइंट आइ डी सं. (यदि बेकागजीकृत है)	
स्थान	
तारीख	

नोट :-

- यदि निकाय कार्पोरेट द्वारा नामांकन किया जाता तो नामांकन फार्म के साथ, निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति जिस बैठक में वह पारित हुआ है उसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
- यदि उपरोक्त कॉलमों में से कोई भी कॉलम खाली छोड़ा जाता है या दस्तावेज़ त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो नामांकन खारिज हो सकता है।



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai-600 002

Declaration (By the candidate) (Refer 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of Shri / Smt. _____
resident of _____ hereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of the Bank **on Friday, 24th October, 2014 i.e., the Specified date** for participating in the elections, and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank would be useful to the Bank) and/or I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbering _____ and
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Indian Overseas Bank and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations, Notification issued by RBI and Guidelines issued by GOI.
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- h. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution; and
- i. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- j. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for two terms or six years, whether continuously or intermittently, and
- k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- l. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- m. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. / DP ID No. & Client ID No	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal

Name of the attesting official

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Overseas Bank or any Nationalized Bank.

***Tick whichever is applicable.**



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

उद्घोषणा

(अभ्यर्थी द्वारा)

(विनियम के संदर्भ 65)

मैं एतद्द्वारा पुष्ट करता/ती हूँ कि मैं _____ पुत्र / पुत्री / पत्नी
श्री / श्रीमती _____ का निवासी हूँ :

- क) मैं, **शुक्रवार, 24 अक्टूबर, 2014** अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट दिनांक को बैंक के -- ईक्विटी शेयर रखने वाला शेयरधारक हूँ, और
- ख) मैं (i) कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्यम अथवा _____ (विशिष्ट ज्ञान अथवा प्रायोगिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है) आदि के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा प्रायोगिक अनुभव रखता हूँ और / अथवा मैं, अधिनियम की धारा 9 के खण्ड 3 ए और उसके साक्ष्य अनुसार किसानों, श्रमिकों और कारीगरों अथवा जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एतद्द्वारा संबंधित प्रसंशापत्र प्रस्तुत करता हूँ और
- ग) मैं नामांकन संख्या _____ को स्वीकार करता / करती हूँ और
- (घ) मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशकों के चुनाव में भाग लेना चाहता / चाहती हूँ और
- (च) भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना, विनियमनों, योजनाओं, अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक के निदेशक बनने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (छ) मैंने लाभ का कोई कार्यालय नहीं चलाया है और ना ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी हूँ।
- (ज) मैं किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अन्य आर्थिक अधिकारी द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया / गयी हूँ।
- (झ) मैं किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का निदेशक नहीं हूँ और,
- (ट) मैं, दो कार्यकाल अथवा छह वर्ष जो भी अधिक हो के लिए किसी भी वर्ग के तहत पूर्व में इस बैंक के बोर्ड का निदेशक नहीं रहा / रही हूँ।
- (ठ) मैं, दो कार्यकाल अथवा छह वर्ष जो भी अधिक हो के लिए, चाहे लगातार अथवा विरामता सहित (सनदी लेखाकार प्रवर्ग सहित) किसी भी वर्ग के तहत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का निदेशक नहीं रहा / रही हूँ।
- (ड) मेरा चयन किए जाने पर मैं बैंक के साथ व्यावसायिक संबंधों का पालन करूँगा / करूँगी, यदि कोई हो, और निर्देशानुसार कार्यकाल अवधि और उसके 2 वर्ष बाद तक अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध स्वीकार नहीं करूँगा / करूँगी।
- (ढ) मैं वचन देता / देती हूँ कि किसी भी मामले की जानकारी मिलते ही बैंक को सूचित करूँगा, यदि कोई हो, बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चुनाव पर प्रसंविदा विलेख तैयार करने हेतु और यहाँ उपलब्ध सूचनाओं से संबंधित इस उद्घोषणा के अनुवर्ती स्थान पर उपलब्ध है।
- (ण) मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा / रही हूँ जो सभी परिप्रेक्ष्यों में मेरी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकरण पृष्ठ संख्या/ डीपीआईडी संख्या और ग्राहक आईडी संख्या	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त उद्घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम

उद्घोषणा पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा बीमा के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के समक्ष नामिती द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

***जो लागू हो उसे चिह्नित करें।**



PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING

Indian Overseas Bank

Affix
Self Attested
Passport Size
Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2014

I. Personal Details of the Candidate	
a. Full Name (in block capital letters)	
Father's/Husband's name (in full)	
b. Date of Birth	
c. Educational Qualifications	
Academic Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
Professional Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
d. Relevant Background and experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970) (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank) Any other information relevant to Directorship of the Bank	
e. Permanent Address	
f. Present Address	
g. E-mail address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	



व्यक्तिगत सूचना, उद्घोषणा एवं वचनपत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

यहाँ अपना स्वसत्यापित
पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएँ

-----2014 को वस्तुस्थिति के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा उद्घोषणा व वचनपत्र

I	अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण	
क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
	पिता / पति का नाम (पूर्ण)	
ख	जन्म तिथि	
ग	शैक्षणिक योग्यता	
	शैक्षिक योग्यताएँ (सूचना के समर्थन में कृपया प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)	
	व्यावसायिक योग्यताएँ (सूचना के समर्थन में कृपया प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)	
घ	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 (अधिग्रहण एवं वचनपत्र की अंतरण) की धारा 9 (3-ए) के तहत अपेक्षितानुसार (कृपया बैंक के निदेशकत्व के संबंध में अपना अनुभव प्रदर्शित करें) बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य सूचना	
च	स्थायी पता	
छ	वर्तमान पता	
ज	ई-मेल पता टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) टेलीफोन नंबर (मोबाइल)	



h.	1. Permanent Account Number (PAN) (under the Income Tax Act) 2. Name and address of the Income Tax Circle / Division where personal tax returns are being filed	
i.	Relevant Knowledge and Experience (Please attach self attested certificates evidencing knowledge and/ or experience) (Refer Section 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980)	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II Relevant Relationships of the Candidate		
a.	List of relatives if any, who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013)	
b.	List of entities in which he / she is considered as being interested (Refer section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949}	
c.	List of entities in which in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (n-e) of the Banking Regulation Act 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank(s) in which he / she is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)	
e.	Fund and Non Fund Facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and II (c) above from the Bank	
f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	
III Records of professional achievements		
a.	Professional achievements relevant	



झ	स्थायी खाता संख्या (पैन)(आयकर अधिनियम के तहत) आयकर सर्किल / खण्ड का नाम और पता जिसके यहाँ व्यक्तिगत कर रिटर्न जमा कर रहे हैं	
ट	संबंधित ज्ञान और अनुभव [कृपया ज्ञान और / या अनुभव के साक्ष्य में स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें] [बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें ।]	
ठ	कोई अन्य जानकारी जो उम्मीदवार देना चाहते हैं	
II	उम्मीदवार का सुसंगत संबंध	
क	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची , यदि कोई हो, जो बैंक से संबंध रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अनुसार]	
ख	संस्थाओं की सूची जिनसे उम्मीदवार का हितबद्ध संबंध होना जाना जाता है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 और धारा 2(49); [धारा 299(3)(ए) ; कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 300 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20 के संदर्भ में]	
ग	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ में कंपनियों की सूची जिनसे उम्मीदवार का भरपूर अधिकृत संबंध होना जाना जाता है ।	
घ	बैंक[ों] के नाम जिनमें उम्मीदवार मंडल के सदस्य हैं या रहे हैं [ऐसे पदभार की अवधि का विवरण दें]	
च	उम्मीदवार या उपर्युक्त II(बी) II(सी) में सूचित किसी भी संस्थाओं द्वारा बैंक से वर्तमान में ली गई निधि या गैर-निधि आधारित सुविधाएँ, यदि कोई हों ।	
छ	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें उम्मीदवार या उपर्युक्त II (बी) व (सी) में सूचित किसी भी संस्था बैंक से या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से ली गई उधार सुविधाएँ बकाया है या वे घोषित चूककर्ता है।	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण	
क	उम्मीदवार की व्यावसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हों	



IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and II (c) above for violation of economic laws and regulations.	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013(section 274 of the Companies Act 1956?)	
e.	Has the candidate or any of the entities listed in II (b) and II (c) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
f.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
g.	Whether the Candidate or entities listed in II (a) and II (b) above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, DCA, RBI, IRDA, MCA, FEMA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	



IV	उम्मीदवार के विरुद्ध ली गई कार्रवाई, यदि कोई हो	
क	यदि प्रत्याशी किसी व्यवसायी संघ / निकाय के सदस्य हैं तो उम्मीदवार के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराये गये हैं या उम्मीदवार के किसी भी व्यवसाय / धंधा करने में किसी भी समय रोक लगाई गई है तो विवरण दें ।	
ख	उम्मीदवार और / या उपर्युक्त II(बी) II(सी) में सूचित कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक नियम व विनियमों के उल्लंघन के लिए मुकदमा, यदि कोई हो, लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें ।	
ग	उम्मीदवार के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है , जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें ।	
घ	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274)के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता के पात्र बने हैं ।	
च	उम्मीदवार या उपर्युक्त II(बी) II(सी)में सूचित किसी भी कंपनी पर किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर किसी भी तरह की जाँच-पड़ताल की गई है ।	
छ	यदि उम्मीदवार किसी भी समय नियमों / विनियमों सीमा / उत्पाद / आय कर / विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्रधिकारियों से वांछित विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें	
ज	क्या उम्मीदवार या उपर्युक्त II(बी) II(सी) में सूचित किसी भी कंपनी के बारे में सेबी, डीसीए, आइआरडीए, एमसीए, फेमा, सिबिल आदि जैसे नियामकों द्वारा कभी विपरीत सूचना दी गई है। (हालांकि अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य यह नहीं है कि विनियामक द्वारा जिन प्रदत्त आदेशों और कमियों को बाद में संशोधित / पूर्णतः निरस्त कर दिया गया उनको कॉलम में प्रदर्शित करें, लेकिन मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि परिसीमन अथवा अधिकारक्षेत्र न होने आदि तकनीकी कारणों से संशोधन / निरस्त करने के मामले में उसके विवरण प्रदान करना अनिवार्य हैं । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रूका हुआ है और अपील / न्यायालय में निर्णय लंबित है तो उसके विवरण भी प्रदान किए जाने चाहिए ।	
V	उचित और सही निर्णय करने के लिए मद I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना और अन्य संबंधित विचारणीय सूचना	



Undertaking :

I _____ Son / Daughter / Wife of Shri _____
confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment, which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant upon my election as Director of the Bank.

Date : _____

Place : _____

Signature of the candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observation of Nomination Committee

Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place:

Date:



वचन

मैं _____ पुत्र /पुत्री / पत्नी श्री _____ पुष्ट करता हूँ कि दी गई उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है । मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के पश्चात् होने वाली उन सभी घटनाओं से बैंक को पूर्ण रूप से यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा जो मेरे द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी से जुड़ी होंगी ।
मैं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर औचित्य विलेख का निष्पादन करने का भी वचनबद्ध हूँ ।

तारीख :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक

1. जहाँ कहीं पर्याप्त जगह न हो तो, अनुबंध संलग्न करें और उसमें कालक्रमानुसार जानकारी दें और उचित संदर्भों का भी उल्लेख करें ।
2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ [अनुबंधों सहित] प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है ।

नामांकन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

तारीख :

स्थान :



Indian Overseas Bank

Central Office : 763,Anna Salai, Chennai-600 002

PROXY FORM (FORM 'B') (To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / We _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/ shareholders of the Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the **Indian Overseas Bank** to be held on Wednesday, the November 26, 2014 at 10.30 a.m. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014

Please affix
15 paise
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named / Sole shareholder

Name _____

Address _____

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of the Bank with the Assistant General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central office, 763, Anna salai, Chennai – 600 002 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e on or before 5.00 P.M., the closing hours of the Bank on Friday, 21st November, 2014.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.**



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म-बीट)
(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ सं.	डीपीआईडी
	ग्राहक आईडी
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)	(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम, निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती _____ निवास
_____ जिला _____ राज्य _____ को, इण्डियन
ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की बुधवार, 26 नवंबर 2014 को सुबह 10.30 बजे नारद गान सभा, (सतगुरु ज्ञानान्दा हाल) 314 टीटीके रोड,
चेन्नई 600 018 में होने वाली **असाधारण सामान्य बैठक** और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी /हमारी ओर से
वोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवजी) के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं ।

आज वर्ष 2014 के _____ माह के _____ दिन हस्ताक्षरित

कृपया 15
पैसे का
राजस्व
स्टाम्प

परोक्षी के हस्ताक्षर

प्रथमनामित / एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर

नाम _____

और पता _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि
 - एक शेयरधारक के मामले में उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
- किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
- मुख्तारनामा या अन्य कोई अधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नई - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 21 नवंबर 2014, शुक्रवार को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् 05.00 बजे को या उससे पहले जमा करा दिया जाना है।
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
- बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
- दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फॉर्म निष्पादित किया जाना है।
- जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

**Indian Overseas Bank**Central Office : 763, Anna Salai,
Chennai-600 002**ATTENDANCE SLIP**

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : 26 th November 2014	Time : 10.30.a.m.
Place : Narada Gana Sabha(Sathguru Gnanananda Hall), 314 TTK Road, Chennai- 600 018	

Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		DP ID & Client ID (If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 26th November, 2014 at Chennai.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative	
--	--

**Indian Overseas Bank**Central Office : 763, Anna Salai,
Chennai-600 002**ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

Date : 26 th November 2014	Time : 10.30.a.m.
Place : Narada Gana Sabha(Sathguru Gnanananda Hall), 314 TTK Road, Chennai- 600 018	

Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		DP ID & Client ID (If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip-sum-Entry Pass – cum – Ballot paper pass, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

**Indian Overseas Bank**Central Office : 763, Anna Salai,
Chennai-600 002**BALLOT PAPER PASS**

(To be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

Date : 26 th November 2014	Time : 10.30.a.m.
Place : Narada Gana Sabha(Sathguru Gnanananda Hall), 314 TTK Road, Chennai- 600 018	

Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		DP ID & Client ID (If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई 600002

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक : 26 नवंबर 2014	समय : प्रातः 10:30 बजे
स्थान : नारद गान सभा (सतगुरु ज्ञानन्दा हाल) 314 टीटीके रोड, चेन्नई - 600 018	

पंजीकृत पृष्ठ संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डीपीआइडी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं, 26 नवंबर 2014 को चेन्नई में आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
--

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई 600002

प्रवेश पत्र

(बैठक कर समाप्ति तक रखा जाना है)

दिनांक : 26 नवंबर 2014	समय : प्रातः 10:30 बजे
स्थान : नारद गान सभा (सतगुरु ज्ञानन्दा हाल) 314 टीटीके रोड, चेन्नई - 600 018	

पंजीकृत पृष्ठ संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डीपीआइडी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों / प्राक्सी या शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रवेश - पर्ची पर बैंक के पास पंजीकृतानुसार विधिवत रूपसे हस्ताक्षर कर बैठक के स्थान पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत करें। प्रवेश आवश्यक सत्यापन / जांच के बाद ही अनुमत होगा। किसी भी हालत में बैठक के प्रवेश स्थान पर अनुलिपि प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा।

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई 600002

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक : 26 नवंबर 2014	समय : प्रातः 10:30 बजे
स्थान : नारद गान सभा (सतगुरु ज्ञानन्दा हाल) 314 टीटीके रोड, चेन्नई - 600 018	

पंजीकृत पृष्ठ संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डीपीआइडी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking)

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with